18-5-2026

पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। प्रकरण में गैरसालय योगेश कुमार पुत्र श्री महेन्द्र कुमार, जाति– गुर्जर, निवासी– गांधीनगर, आबूरोड़, जिला– सिरोही को नोटिस की तामिल होने के बावजूद गैरसायल इस न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण इस न्यायालय द्वारा गैरसायल के विरुद्ध गिरफतारी वारन्ट जारी कर तामिली हेतु भिजवाया गया, लेकिन गैरसायल के विरुद्ध जारी गिरफतारी वारन्ट इस रिपोर्ट के साथ अदम तामिल प्राप्त हुआ है कि गैरसायल उसकी मां के ईलाज हेतु अहमदाबाद गया हुआ है। चूंकि गैरसायल के विरुद्ध यह कार्यवाही इस न्यायालय में दर्ज हुये छः माह से अधिक समय हो गया है तथा इस अवधि में गैरसायल के जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त होने की कोई सूचना/रिपोर्ट न्यायालय पत्रावली में उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में, गैरसालय के विरुद्ध यह कार्यवाही अब आगे चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्ड़ा नियत्रंण अधिनियम, 1975 के तहत प्रस्तुत यह कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमा हरेकर नंबर से कम हो।

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)